



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022023-243722
CG-DL-E-18022023-243722

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 720]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2023/माघ 28, 1944

No. 720]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023/MAGHA 28, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 फरवरी, 2023

का.आ. 750(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा असम राज्य के गोआलपाड़ा जिले में NH17 के कि.मी. 71.800 से कि.मी.84.100 (डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गोयलपारा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 14 दिसंबर, 2022 को "नियोमिया बाटी" और "असम ट्रिब्यून" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

असम राज्य के गोआलपाड़ा जिले में NH17 के कि.मी. 71.800 से कि.मी.84.100 (डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गोयलपारा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: असम		जिले का नाम: गोआलपाड़ा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बालीजन				
	गांव का नाम: क्षरबोजा				
1	101/4	निजी	सैलिटोली	0.031	श्री गोपाल चंद्र राव ऍस्/ओ एलटी मानेश्वर राव ()
2	102/9	निजी	सालिटोली	0.023	श्री तरुण राव ऍस्/ओ एलटी मानेश्वर राव ()
3	106/8	निजी	सालिटोली	0.048	बीजें राम राव ऍस्/ओ एलटी सोगिन राम राव ()
4	116/20	निजी	बारी	0.013	श्री बिपिन चंद्र राव ऍस्/ओ एलटी मुहम्मद राव ()
5	141/20	निजी	सालिटोली	0.27	श्री बिपिन चंद्र राव ऍस्/ओ एलटी मुहम्मद राव ()
			कुल	0.385	

[फा. सं. 570009/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2023

S.O. 750(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the

Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH17 on the stretch of land from Km 71.800 to Km 84.100 (DC Office Goalpara) in the district of GOALPARA in the state of ASSAM

And whereas the substance of the said notification has been published in “Niyomiya Barta” and “*The Assam Tribune*” both dated 14.12.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH17 in the stretch of land from Km 71.800 to Km 84.100 of NH17 (DC Office Goalpara) in the district of GOALPARA in the state of ASSAM

State: ASSAM		District: GOALPARA			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Balijana				
	Village: Kharboja				
1	101/4	Private	SALITOLI	0.031	Sri Gopal Chandra Rava S/o Lt Maneswar Rava
2	102/9	Private	SALITOLI	0.023	Sri Tarun Rava S/o Lt Maneswar Rava
3	106/8	Private	SALITOLI	0.048	Bijen Ram Rava S/o Lt Sogin Ram Rava
4	116/20	Private	BARI	0.013	Sri Bipin Chandra Rava S/o Lt Mohammad Rava
5	141/20	Private	SALITOLI	0.27	Sri Bipin Chandra Rava S/o Lt Mohammad Rava
			TOTAL	0.385	

[F. No. 570009/3D]

RAJESH GUPTA, Director